[ 2021 ] 7 एस. सी. आर. 479

तमिलनाडु राज्य और ए. एन. आर.

वी.

राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी इंटरलिंकिंग

कृषि-सांस्कृतिक संगठन

( 2021 की सिविल अपील संख्या 6764)

नवंबर 23,2021

[ डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

ए एस बोपन्ना, जे. जे.]

प्रशासनिक कानूनः

नीतिगत निर्णय-न्यायिक समीक्षा की शक्ति -

-

लघु और सीमांत लोगों को ऋण माफी देने का सरकारी आदेश

किसानों को चुनौती-उच्च न्यायालय ने ऋण माफी के अनुदान को मनमाना माना और राज्य को सभी को समान लाभ देने का निर्देश दिया

भूमि की सीमा की परवाह किए बिना किसान-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः ऋण माफी योजना राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अनुसरण में है-आर्थिक और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए एक वर्ग के रूप में किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने का उद्देश्य कला द्वारा अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। 38 योजना को कला का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। 14 चूंकि यह कोई बोझ नहीं डालता है, लेकिन एक लाभ प्रदान करता है-ऋण माफी योजना सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्रवाई का उपयोग करके समाज में पर्याप्त समानता लाने के प्रयास के साथ शुरू की गई है-सूखे और बाढ़ जैसे जलवायु संकट के कारण केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए योजना का उपयोग उचित है, जिससे पूंजी और प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण बड़ी जोतों की तुलना में छोटी जोतों को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है; और छोटे और सीमांत किसान समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं। 15 न ही किसी व्यक्ति की जन्मजात और मूल विशेषता पर, यह नहीं हो सकता है

राज्य द्वारा प्रस्तावित अल्प-समावेशिता और अति-समावेशिता योजना को कथित आधारों पर निरस्त कर दिया गया संवैधानिक चुनौती के खिलाफ-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है-भारत का संविधान-अनुच्छेद 14।

नीतिगत निर्णय-न्यायिक समीक्षा-महत्वाकांक्षा और सीमा -

आयोजित किया गयाः न्यायालय किसी व्यक्ति की दृढ़ता और विवेक में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नीति-नीति मौलिक अधिकारों और संविधान के अन्य प्रावधानों के अनुपालन के सीमित आधारों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है-न्यायालय उच्च स्तर का सम्मान दिखाएंगे।

आर्थिक नीति से संबंधित मामलों में, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अन्य मामलों की तुलना में-राज्य और इसकी एजेंसियां अक्सर प्रयास करती हैं

आर्थिक रूप से व्यवहार्य निर्णय लेना-तथ्यों पर, ऋण माफी

योजना, संक्षेप में, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अनुसरण में एक सामाजिक नीति है, जिसे स्थिति, आय और सुविधाओं में असमानता को खत्म करने के उद्देश्य से पेश किया गया है।

कार्यकाल नीति-जिसका अर्थ हैः नीति ही तर्क है

और ऐसी वस्तु जो प्राधिकरण के कानूनों के निर्णय का मार्गदर्शन करती है,

अधिसूचनाएं, अध्यादेश या सरकारी आदेश राज्य की नीति के कार्यान्वयन के लिए साधन हैं-किसी कानून की सराहना करने के लिए, कानून के पीछे की नीति का संदर्भ आवश्यक है-कानून की वैधता को निर्धारित करने के लिए न्यायिक रूप से विकसित दो-आयामी परीक्षण।

14 कानून के उद्देश्य को संदर्भित करता है क्योंकि नीति 'के पीछे

कानून कभी भी न्यायिक ध्यान से पूरी तरह से अछूता नहीं रहता है-भारत का संविधान-कला। 14 - शब्द और वाक्यांश।

भारत का संविधानः

कला. 14 - यदि कला का उल्लंघन करता है तो स्वयं वर्गीकरण। 14 – आयोजित किया गयाः

प्रति वर्गीकरण भेदभावपूर्ण और Art.14-का उल्लंघन नहीं है।

कला. 14 केवल वर्ग कानून को मना करता है और उचित वर्गीकरण नहीं वर्गीकरण उचित है, जब एक बोधगम्य अंतर पर आधारित हो; और अंतर का क़ानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए -

शामिल किए गए वर्ग को अलग करने के लिए कुछ मापदंड होना चाहिए और

समूह से बाहर रखे गए अन्य-ऋण माफी योजना में वर्गीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला अंतर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा भूमि स्वामित्व की कुल सीमा है-इस प्रकार, योजना के उद्देश्य के लिए वर्ग का गठन करने के लिए एक मापदंड का उपयोग किया जाता है।

कला. 14 - समावेशी और अति समावेशी वर्गीकरण

-

अर्थ और परिधि-आयोजितः एक क़ानून 'कम समावेशी' है यदि यह उन सभी अभिनेताओं को विनियमित करने में विफल रहता है जो समस्या का हिस्सा हैं-यह 'अधिक समावेशी' है यदि यह उन अभिनेताओं को विनियमित करता है जो उस समस्या का हिस्सा नहीं हैं जिसे क़ानून संबोधित करना चाहता है-कम समावेशिता और अधिक समावेशिता का निर्धारण, और इसके प्रति सम्मान की डिग्री तमिलनाडु और ए. एन. आर. राज्य के संबंध ('तर्कसंगत संबंध' या 'आनुपातिक') पर निर्भर है।

वी. राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी कृषि-सांस्कृतिक संगठन को आपस में जोड़ती है

परीक्षण-परीक्षण के तहत सबूत की डिग्री इस अदालत के फैसले को प्रभावित करेगी कि क्या कानून कम-समावेशी है या अति-समावेशी-नेक्सस परीक्षण, आनुपातिकता परीक्षण के विपरीत, साधनों को कम करने या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन खोजने के लिए तैयार नहीं किया गया है-यह पर्याप्त है यदि साधनों में उद्देश्य के लिए 'तर्कसंगत संबंध' है। इस प्रकार, अदालतें उन मामलों के प्रति अधिक सम्मान दिखाती हैं जहां तर्कसंगत सांठगांठ परीक्षण लागू किया जाता है-वर्गीकरण के लिए अधिक सम्मान दिखाया जाता है क्योंकि विधायिका मूल समानता के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए नुकसान की डिग्री के आधार पर वर्गीकृत कर सकती है, और इस तरह के वर्गीकरण के लिए गणितीय की आवश्यकता नहीं होती है।

सटीकता।

एक के अनुसरण में ऋण माफी योजना की शुरुआत

चुनावी वादा, यदि संवैधानिक रूप से संदिग्ध है-आयोजितः किसी योजना को केवल इसलिए संवैधानिक रूप से संदिग्ध नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि यह एक चुनावी वादे पर आधारित थी-योजना को केवल संविधान की रूपरेखा के भीतर संदिग्ध ठहराया जा सकता है, चाहे वह योजना किस इरादे से शुरू की गई थी।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 नीति वह तर्क और उद्देश्य है जो मार्गदर्शन करता है।

प्राधिकरण का निर्णय, जो इस मामले में तमिलनाडु राज्य है। क़ानून, अधिसूचनाएँ, अध्यादेश या सरकारी आदेश राज्य की नीति के कार्यान्वयन के साधन हैं। इसलिए कानून की पूरी तरह से सराहना करना संभव नहीं है।

कानून के पीछे की नीति के संदर्भ के बिना। संविधान के अनुच्छेद 14 की तुलना में कानून की वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायिक रूप से विकसित दो-आयामी परीक्षण, कानून के उद्देश्य को संदर्भित करता है क्योंकि कानून के पीछे की 'नीति' कभी भी न्यायिक ध्यान से पूरी तरह से अछूती नहीं होती है। हालाँकि, यह तय कानून है कि न्यायालय किसी नीति की दृढ़ता और विवेक में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। एक नीति सीमित पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है

आधार

मौलिक अधिकारों और संविधान के अन्य प्रावधानों का अनुपालन। यह भी तय किया गया है कि न्यायालय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अन्य मामलों की तुलना में आर्थिक नीति से संबंधित मामलों में उच्च स्तर का सम्मान दिखाएंगे। [ पैरा 9,10] [491-एच; 492-ए-सी]

1.2 आर्थिक नीतियों में मोटे तौर पर निम्नलिखित नीतियां शामिल हैं -

कराधान, व्यय और आवंटन। राज्य और उसकी एजेंसियां अक्सर आर्थिक रूप से व्यवहार्य निर्णय लेने का प्रयास करती हैं।

राज्य की प्रत्येक नीति के कार्यान्वयन में व्यय शामिल है। केवल इसलिए कि नीति में धन का व्यय शामिल है, इसे आर्थिक नीति नहीं कहा जा सकता है। नीति की प्रकृति की पहचान करने के लिए नीति की मुख्य विशेषता और लक्षित क्षेत्र को निर्धारित करने की आवश्यकता है। विवादित ऋण माफी योजना, संक्षेप में, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अनुसरण में एक सामाजिक नीति है, जिसे असमानता को खत्म करने के उद्देश्य से पेश किया गया है।

स्थिति, आय और सुविधाओं में। [ पैरा 12] [493-एच; 494-ए-बी]

1.3 ऋण माफी योजना भी इसके अनुसरण में है

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। इस योजना को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह बोझ नहीं डालती है बल्कि लाभ प्रदान करती है। [ पैरा 13] [495-ए-बी]

सुब्रमण्यम बालाजी बनाम। तमिलनाडु राज्य (2013) 9 एस. सी. सी. 659:

[ 2013 ] 13 एस. सी. आर. 668 पर भरोसा किया।

1.4 संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता संहिता मूल समानता निर्धारित करती है न कि औपचारिक समानता। अब यह एक तय स्थिति है कि प्रति वर्गीकरण भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 14 केवल वर्ग कानून को प्रतिबंधित करता है और नहीं उचित वर्गीकरण। एक वर्गीकरण उचित होता है, जब यह एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होता है जो व्यक्तियों या चीजों को समूह से अलग करता है, जो समूह से बाहर रह गए हैं; और अंतर का वस्तु के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

कानून द्वारा प्राप्त करने की मांग की गई। शामिल किए गए वर्ग और समूह से बाहर रखे गए अन्य वर्गों में अंतर करने के लिए कुछ मानदंड होने चाहिए। योजना में वर्गीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला अंतर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा भूमि स्वामित्व की कुल सीमा है। इसलिए, योजना के उद्देश्य के लिए वर्ग का गठन करने के लिए एक मापदंड का उपयोग किया जाता है। [ पैरा 14,15] [495-बी-ई]

डब्ल्यू. बी. बनाम की स्थिति अनवर अली सरकार [1952] एस. सी. आर. 284-पर भरोसा किया।

1.5 इस योजना के निर्माण के लिए तमिलनाडु राज्य का मार्गदर्शन करने के दो कारण हैंः छोटा सा

और सीमांत किसानों को सीमित प्रौद्योगिकी और पूंजी के कारण अनियमित जलवायु स्थितियों के कारण अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा है।

जो उनके पास है और राज्य अधिकतम तमिलनाडु और ए. एन. आर. राज्य प्रदान करना चाहता है।

वी. राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी कृषि-सांस्कृतिक संगठन को आपस में जोड़ती है

न्यूनतम निधि के साथ लाभ। राज्य ने कहा कि केवल सीमांत और छोटे किसानों को योजना का लाभ प्रदान करने से न्यूनतम निवेश के लिए अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। हालाँकि, यह राज्य द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य नहीं हो सकता है। प्रत्येक योजना जिसमें मौद्रिक या सामग्री संवितरण शामिल है, का उद्देश्य न्यूनतम व्यय के साथ अधिकतम लाभ प्रदान करना है। इस प्रकार वर्गीकरण का परीक्षण वित्तीय उद्देश्य पर नहीं किया जा सकता है जो प्रत्येक योजना का मार्गदर्शन करता है। [ पैरा 17,18] [496-बी-सी, डी ई] 1.6 यह न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त है कि विधायिका नुकसान की डिग्री को पहचानने के लिए स्वतंत्र है और अपने प्रतिबंधों को सीमित कर सकती है या

उन मामलों के लिए लाभ जहां आवश्यकता सबसे स्पष्ट है। यह न्यायालय यह स्वीकार नहीं कर सकता है कि अधिकांश आबादी की सामान्य सहमति के आधार पर नुकसान की डिग्री को मान्यता दी जा सकती है। कानून या सरकार की योजना का परीक्षण बहुसंख्यकवादी नैतिकता के आधार पर नहीं किया जा सकता है, बल्कि केवल संवैधानिक नैतिकता पर किया जा सकता है। हालांकि, राज्य द्वारा किए गए दावों को ठोस सामग्री प्रस्तुत करने के माध्यम से तर्क की परीक्षा के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कम बोझ अधिकारों के संरक्षण को काफी हद तक कमजोर कर देगा। [ पैरा 21] [497-सी, ई-एफ]

1.7 तथ्य यह है कि 3,01,926 किसानों की तुलना में 16,94,145 छोटे और सीमांत किसानों ने कृषि ऋण का लाभ उठाया है

अन्य श्रेणी 'से संबंधित यह गवाही देता है कि छोटे और

बाकी किसानों की तुलना में सीमांत किसानों के पास महत्वपूर्ण पूंजी घाटा है। एक विशाल पूंजी घाटा, पानी की कमी के कारण कृषि आय में कमी के साथ और

बाढ़ के कारण फसल जलमग्न होने से आर्थिक संकट पैदा हो गया है। [ पैरा 22] [497-जी; 498-ए-बी]

1.8 ग्रामीण भारत में कृषि घरों और भूमि और घरों की जोत की स्थिति का आकलन, 2019

प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय पर व्यापक चर्चा करता है। रिपोर्ट बताती है कि भारत के छोटे और सीमांत किसान अनिवार्य रूप से मजदूरी बन गए हैं।

कमाने वाले। रिपोर्ट में किसानों की प्रत्येक श्रेणी द्वारा रखे गए बकाया ऋणों की कुल राशि को भी सूचीबद्ध किया गया है। गणना से पता चलता है कि जिन परिवारों के पास 0.01 हेक्टेयर से कम भूमि है, वे गैर-कृषि उद्देश्य के लिए कृषि ऋण का उपयोग करते हैं।

इसके विपरीत, एक परिवार जिसके पास 10 हेक्टेयर भूमि है, वह कृषि ऋण का केवल 17.1 प्रतिशत गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है। यह उस गरीबी को दर्शाता है जो वर्ग को घेर लेती है।

छोटे और सीमांत किसान। [ पारस 23,24] [498-डी-ई; 499-डी]

1.9 विवादित योजना को केवल छोटे और सीमांत किसानों पर लागू करना दो कारणों से उचित है: ए

सूखा और बाढ़ जैसे जलवायु संकट बड़ी जोतों की तुलना में छोटी जोतों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं।

पूँजी और प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण; और छोटे और सीमांत किसान समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं। इसलिए, ऋण माफी योजना प्रभावी रूप से ग्रामीण आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लक्षित करती है। यह योजना सामाजिक और सामाजिक उत्थान के लिए सकारात्मक कार्रवाई का उपयोग करके समाज में पर्याप्त समानता लाने के प्रयास के साथ शुरू की गई है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अन्य किसानों की तुलना में छोटे और सीमांत किसानों को होने वाले नुकसान के कारण, यह उचित है कि योजना का लाभ केवल एक निर्दिष्ट वर्ग को प्रदान किया जाता है क्योंकि छोटे और सीमांत किसान अपने आप में एक वर्ग हैं। इसलिए, भूमि स्वामित्व की सीमा के आधार पर वर्गीकरण मनमाना नहीं है क्योंकि छोटे और सीमांत किसानों की अंतर्निहित वंचित स्थिति के कारण, जलवायु परिवर्तन या अन्य बाहरी ताकतों का प्रभाव असमान है। [ पैरा 25] [500-ए-डी] 1.10 वर्गीकरण कम समावेशी है या नहीं, इसका निर्धारण उस परीक्षण से निकटता से संबंधित है जो न्यायालय द्वारा अंत तक साधनों के संबंध का निर्धारण करते समय किया जाता है। यह न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए दो-आयामी परीक्षण का पालन करता है कि क्या अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ है। परीक्षण के लिए अदालत को यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध है। न्यायालयों ने गैर-वर्गीय मनमानेपन को निर्धारित करने के लिए आनुपातिकता मानक का उपयोग किया है, और यह निर्धारित करने के लिए दोहरे परीक्षण का उपयोग किया है कि क्या वर्गीकरण मनमाना है। [ पैरा 28] [502-ए-बी; एफ]

1.11 जबकि गैर-वर्गीकरण मनमानेपन का परीक्षण आनुपातिकता परीक्षण के आधार पर किया जाता है, जहां साधनों की आवश्यकता होती है

वस्तु के समानुपाती, वर्गीकरण मनमानेपन का परीक्षण किया जाता है

तर्कसंगत सांठगांठ परीक्षण पर, जहां यह पर्याप्त है यदि साधन तमिलनाडु और ए. एन. आर. के राज्य को साझा करते हैं।

वी. राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी कृषि-सांस्कृतिक संगठन को आपस में जोड़ती है

वस्तु के साथ एक 'संबंध'। परीक्षण के तहत सबूत की डिग्री इस न्यायालय के फैसले को प्रभावित करेगी कि क्या कानून है

समावेशी या अति समावेशी। एक क़ानून 'कम समावेशी' है यदि यह उन सभी कारकों को विनियमित करने में विफल रहता है जो समस्या का हिस्सा हैं। यह 'अति-समावेशी' है यदि यह उन अभिनेताओं को विनियमित करता है जो उस समस्या का हिस्सा नहीं हैं जिसे क़ानून संबोधित करना चाहता है। कम समावेशिता और अति समावेशिता का निर्धारण और इसके प्रति सम्मान की डिग्री परीक्षण के संबंध ('तर्कसंगत संबंध' या 'आनुपातिक') पर निर्भर करती है। [ पैरा 31] [503-एफ-एच; 504-ए]

1.12 नेक्सस परीक्षण, आनुपातिकता परीक्षण के विपरीत, साधनों को कम करने या सर्वोत्तम साधन खोजने के लिए तैयार नहीं किया गया है। उद्देश्य को प्राप्त करें। यह तब पर्याप्त है जब साधनों का वस्तु के साथ 'तर्कसंगत संबंध' हो। इसलिए, अदालतें अधिक डिग्री दिखाती हैं

उन मामलों के लिए सम्मान जहां तर्कसंगत संबंध परीक्षण लागू किया जाता है। वर्गीकरण के लिए अधिक सम्मान दिखाया गया है क्योंकि

विधायिका मूल समानता के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए नुकसान की डिग्री के आधार पर वर्गीकृत कर सकती है, और इस तरह के वर्गीकरण के लिए गणितीय सटीकता की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय न्यायालय वर्गीकरण संबंधी प्रावधानों के लिए आनुपातिकता मानक लागू नहीं करते हैं। चूँकि विवादित योजना में वर्गीकरण न तो अनुच्छेद 15 के आधारों पर आधारित है और न ही किसी व्यक्ति की 'जन्मजात और मूल विशेषता' पर आधारित है, इसलिए इसे कम समावेशिता और अत्यधिक समावेशिता के कथित आधारों पर खारिज नहीं किया जा सकता है। [ पैरा 32] [504-बी सी; डी]

1.13 जारी की गई योजना निम्नलिखित के अनुसरण में शुरू की गई थी

तमिलनाडु में सत्ता में तत्कालीन पार्टी द्वारा किया गया एक चुनावी वादा। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय का विचार था कि चूंकि यह योजना एक चुनावी वादे के अनुसरण में थी, इसलिए यह संवैधानिक रूप से संदिग्ध है। यह विचार इस धारणा पर किया गया था कि चुनाव से पहले कोई अध्ययन नहीं किया गया होगा।

वादा किया था। यह तय कानून है कि कोई योजना आयोजित नहीं की जा सकती है।

संवैधानिक रूप से केवल इसलिए संदिग्ध होना क्योंकि यह एक चुनावी वादे पर आधारित था। किसी योजना को केवल संविधान की रूपरेखा के भीतर संदिग्ध ठहराया जा सकता है, चाहे वह योजना किस इरादे से शुरू की गई हो। तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रस्तावित योजना संवैधानिक चुनौती के खिलाफ एक साथ पारित होती है। उच्च न्यायालय ने अन्यथा ठहराने में गलती की। विचाराधीनता के दौरान [2021] 7 एस।

राज्य ने स्थिति के अपने मूल्यांकन के आधार पर कार्यवाही के लिए एक व्यापक कवर प्रदान किया है। उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। [ पैरा 33,34] [504-ई-जी; 505-ए]

सुब्रमण्यम बालाजी बनाम। तमिलनाडु राज्य (2013) 9 एस. सी. सी. 659:

[ 2013 ] 13 एससीआर 668-पर निर्भर।

भारत संघ बनाम। दिनेश इंजीनियरिंग निगम

( 2001 ) 8 एस. सी. सी. 491; ओम कुमार बनाम भारत संघ (2002) 2 एस. सी. सी. 386; आसिफ हम्मद बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य (1989) 2 पूरक। एससीसी 364: [ 1989 ] 3 एस. सी. आर. 19; सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम। भारत संघ (1990) 3 एससीसी 223: [ 1990 ] 1 एस. सी. आर. 909; खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम। कर्नाटक राज्य (1996) 10 एससीसी 304: [ 1995 ] 6 पूरक। एससीआर 759; बाल्को कर्मचारी संघ बनाम। भारत संघ (2002) 2 एससीसी 333: [ 2001 ] 5 पूरक। एस. सी. आर. 511; उड़ीसा राज्य बनाम। गोपीनाथ दास (2005) 13 एस. सी. सी. 495: [ 2005 ] 5 पूरक। एससीआर 699; आर. के. गर्ग बनाम। भारत संघ (1981) 4 एससीसी

675 : [ 1982 ] 1 एससीआर 947; नवतेज सिंह जौहर बनाम। भारत संघ (2018) 10 एससीसी 1: [ 2018 ] 7 एस. सी. आर. 379; राम कृष्ण डालमिया बनाम एस. आर. तेंदुलकर ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 538: [ 1959 ] एस. सी. आर. 279; मो. हनीफ कुरेशी बनाम। बिहार राज्य ए. आई. आर 1958 एस. सी 731: [ 1959 ] एससीआर 629; बिनॉय विश्वम बनाम। भारत संघ (2017) 7 एससीसी 59: [ 2017 ] 7 एस. सी. आर. 1; महाराष्ट्र राज्य बनाम इंडियन होटल एंड

रेस्टोरेंट एसोसिएशन (2013) 8 एस. सी. सी. 519: [ 2013 ] 7 एससीआर 654; गुजरात राज्य बनाम। अम्बिका मिल्स (1974) 4 एस. सी. सी. 656 [1974] 3 एस. सी. आर. 760; एन. पी. बशीर बनाम। केरल राज्य [2004] 2 एस. सी. आर. 224; ई. पी. रोयप्पा बनाम। तमिलनाडु राज्य 17 (1974) 4 एस. सी. सी. 3: [ 1974 ] 2 एस. सी. आर. 328; मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बनाम। एम. पी. राज्य

( 2016 ) 7 एससीसी 353: [ 2016 ] 3 एस. सी. आर. 579; सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। भारत संघ (2016) 7 एससीसी 221: [ 2016 ] 3 एस. सी. आर. 865; न्यायमूर्ति पुट्टास्वामी (9 जे) बनाम। भारत संघ (2017) 10 एससीसी 1: [ 2017 ] 10 एससीआर 569; पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम। भारत संघ (2019) 1 एससीसी 1: [ 2018 ] 8 एससीआर 1; अनुज गर्ग बनाम। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (2008) 3 एससीसी 1: [ 2007 ] 12 एस. सी. आर. 991-संदर्भित।

तमिलनाडु राज्य और ए. एन. आर. वी. राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी कृषि-सांस्कृतिक संगठन को आपस में जोड़ती है

मिसौरी, के एंड टी आर. एल. वी. मई 194 यू. एस. 267,269-संदर्भित को।

अपर्णा चंद्र 'भारत में आनुपातिकता': एक पुल

टू नोव्हेयर (2020) ऑक्सफोर्ड ह्यूमन राइट्स जर्नल;

तरुणभ खेतान, 'समानता': इसके तहत विधायी समीक्षा

सुजीत चौधरी, माधव खोसला, प्रताप में अनुच्छेद 14 '

भानु मेहता (संस्करण), द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ द भारतीय संविधान (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2016)

संदर्भित किया गया।

-

पारिजात घोष, किसानों का विरोधः क्यों छोटे हैं और

कृषि कानूनों का विरोध कर रहे सीमांत किसान? ,

( 11 दिसंबर, 2020): //एन। गाँव कनेक्शन। कॉम /

किसान-विरोध-विरोध-विरोध

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

( 2002 ) 2 एस. सी. सी. 386

संदर्भित किया गया है

पैरा

2

[ 1989 ] 3 एस. सी. आर 19

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

[ 1990 ] 1 एससीआर 909

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

[ 1995 ] 6 पूरक। एससीआर 759

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

[ 2001 ] 5 पूरक। एससीआर 511

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

[ 2005 ] 5 पूरक। एससीआर 699

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

[ 1982 ] 1 एससीआर 947

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

[ 2013 ] 13 एससीआर 668

उस पर भरोसा करें

पैरा

13,33

[ 1952 ] एससीआर 284

उस पर भरोसा करें

पैरा

14,15

[ 2018 ] 7 एससीआर 379

संदर्भित किया गया है

पैरा

20

[ 1959 ] एससीआर 279

संदर्भित किया गया है

पैरा

21

[ 1959 ] एससीआर 629

पैरा

21

संदर्भित किया गया है

[ 2017 ] 7 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

7 एससीआर 654

संदर्भित किया गया है

[ 2013 ]

पै

रा 21

[ 1974 ] 3 एससीआर 760

पै

रा 26

संदर्भित किया गया है

[ 2004 ] 2 एससीआर 224

संदर्भित किया गया है

पै

रा 27

[ 1974 ] 2 एससीआर 348

पै

रा 28

संदर्भित किया गया है

[ 2016 ] 3 एससीआर 579

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[ 2016 ] 3 एससीआर 865

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[ 2017 ] 10 एससीआर 56

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[ 2018 ] 8 एससीआर 1

पै

रा 28

संदर्भित किया गया है

[ 2007 ] 12 एससीआर 99

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6764

2021 से।

मदुरै पीठ के 04.04.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

मद्रास में उच्च न्यायालय के डब्ल्यू. पी. (एम. डी.) 2016 की सं. 18119।

जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डी. कुमानन, शेख फखरुद्दीन कालिया,

अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

K.M.Nataraj, ASG, सुश्री सोनिया माथुर, Sr.Adv। राजन के.

चौरसिया, शरत नांबियार, K.L.Jhanjhani, सुश्री सौदामिनी शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, एन. राजारमन, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ

पीठ ने छोटे और सीमांत किसानों को ऋण माफी देने वाले जी. ओ. संख्या 50 को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने केवल छोटे और सीमांत किसानों को ऋण माफी की मंजूरी को मनमाना माना और अपीलार्थी को भूमि की सीमा के बावजूद सभी किसानों को समान लाभ देने का निर्देश दिया।

2. तमिलनाडु सरकार ने दिनांकित जी. ओ. सुश्री संख्या 50 जारी किया

13 मई 2016 ("योजना") बकाया फसल ऋण, मध्यम अवधि (कृषि) ऋण और दीर्घकालिक (कृषि क्षेत्र) ऋणों की माफी प्रदान करते हुए तमिलनाडु और ए. एन. आर. राज्य को जारी किया गया।

वी. राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी कृषि-सांस्कृतिक संगठन को आपस में जोड़ती है

छोटे और सीमांत किसानों के लिए। जी. ओ. सुश्री संख्या 59 दिनांक 28 जून 2016 को जारी किया गया था जो जी. ओ. सुश्री संख्या 50 के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है। दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि किसानों को छोटे और सीमांत के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, कृषि ऋण की मंजूरी के समय भूमि स्वामित्व रजिस्टर और ऋण रजिस्टर में उल्लिखित भूमि स्वामित्व की सीमा को ध्यान में रखा जाएगा। जहां तक 'छोटे किसान' और 'सीमांत किसान' की परिभाषा का संबंध है, यह प्रावधान करता है कि 'छोटे किसान' का अर्थ है एक किसान जिसके पास ढाई एकड़ से लेकर पांच एकड़ तक की भूमि है और 'सीमांत किसान' का अर्थ है एक किसान जिसके पास ढाई एकड़ तक भूमि है। इसके बाद, 1 जुलाई 2016 को सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें योजना के कार्यान्वयन के लिए आगे के दिशा-निर्देश दिए गए थे।

3. प्रत्यर्थी ने संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के लिए इस योजना को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी और इस संबंध में निर्देश देने की मांग की

जमीन की सीमा की परवाह किए बिना सभी किसानों के लिए ऋण माफी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि 'अन्य किसानों'-जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है-को भूमि माफी योजना से बाहर करना भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसने निर्देश दिया कि इस योजना का विस्तार उन सभी किसानों तक किया जाए, जिनकी भूमि 5 एकड़ से अधिक है। उच्च न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित कारणों से सहायता मिलीः

( i) न्यायालय नीति के क्षेत्र में न्यायिक समीक्षा का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 की आवश्यकताओं के अनुरूप है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा भारत संघ v में अभिनिर्धारित किया गया है। दिनेश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन ', ओम कुमार बनाम।

भारत संघ 2);

( (ii) अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम

( " ए. आई. ए. डी. एम. के.) ने सत्ता में आने पर योजना को लागू करने का चुनावी वादा किया था। उत्तरदाताओं द्वारा दायर काउंटर में कहा गया है कि छोटे और सीमांत किसान अपने आप में एक वर्ग हैं क्योंकि उन्हें अपनी अल्प आय और संसाधनों के कारण अधिक सहायता की आवश्यकता होती है। फाइल में इस तर्क का कोई संकेत नहीं है। ए. आई. ए. डी. एम. के. ने चुनाव के वादे के पालन में सत्ता में आने के बाद इस योजना को पेश किया, इस तरह के वादे के लिए प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखे बिना।
वर्गीकरण;

1 1 (2001) 8 एस. सी. सी. 491

2 ( 2002 ) 2 एससीसी 386 [2021] 7 एस. सी. आर.

( iii) राज्य का यह तर्क कि इस योजना का उद्देश्य अधिकतम लाभार्थियों को शामिल करना है -

धन का न्यूनतम परिव्यय स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब सरकार का समग्र उद्देश्य किसानों की पीड़ा को दूर करना है, तो जोत की सीमा के आधार पर वर्गीकरण समझ में नहीं आता है।

( iv) जो किसान कृषि ऋण के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें अपनी सभी भूमि का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। यह ऋण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा यदि कोई किसान केवल उस भूमि के कुल विस्तार का उल्लेख करता है जिसके लिए ऋण मांगा गया है। इसी तरह, यदि किसी किसान के पास एक से अधिक गाँव में भूमि है, तो ऋण आवेदन में केवल उस भूमि का उल्लेख होगा जो विशिष्ट बैंक के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसलिए, किसानों को 'सीमांत किसानों' और 'छोटे किसानों' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कृषि ऋण की मंजूरी के समय 'भूमि स्वामित्व रजिस्टर' में उल्लिखित कुल भूमि पर निर्भरता तर्कहीन है; और

( v) वर्गीकरण की अतार्किक विधि अधिक होती है।

समावेशिता और कम समावेशिता।

4. इस न्यायालय द्वारा 3 जुलाई 2017 को नोटिस जारी किया गया था और उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी गई थी। 18 सितंबर 2019 के एक आदेश द्वारा, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि तमिलनाडु सरकार अन्य श्रेणियों के किसानों को कोई भी अन्य 'सीमित लाभ' देने के लिए तैयार है।

5. उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में, तमिलनाडु राज्य

8 फरवरी 2021 के जी. ओ. (एम. एस.) 15 और 16 को रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा सरकार ने 5 लाख रुपये के फसल ऋण को माफ कर दिया है। 12, 110.74 31 जनवरी 2021 तक किसानों द्वारा सहकारी बैंकों से 16,43,346 का लाभ उठाया गया।

6. अपीलार्थी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

अदालत सरकार की नीति में हस्तक्षेप कर सकती है।

( 1 )

केवल तभी जब कार्रवाई असंवैधानिक या इसके विपरीत हो

वैधानिक प्रावधान;

( (ख)

इस योजना को वित्तीय अध्ययन के बाद तैयार किया गया था

राज्य की क्षमता; तमिल नाडु और ए. एन. आर. वी. राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी कृषि-सांस्कृतिक संगठन को समाप्त कर रही है [डॉ. धनन्जय वाई

चंद्रचूड़, जे।]

( (iii) ऋण माफी प्रदान करने में एक स्पष्ट अंतर है।

केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए क्योंकि वे सबसे अधिक प्रभावित वर्ग हैं; और

( (iv) सरकार की अंतर्निहित नीति अधिकतम करना है।

धन के कुशल उपयोग के साथ लाभार्थी। भले ही अधिक भूमि वाले किसानों को नुकसान उठाना पड़ा, यह राज्य का एक राजकोषीय नीतिगत निर्णय है कि इस योजना का विस्तार केवल

छोटे और सीमांत किसान।

7. उत्तरदाताओं ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

जिन किसानों के पास पाँच एकड़ से अधिक भूमि है, वे योगदान करते हैं।

( (i)

देश के सकल घरेलू उत्पाद और खाद्य सुरक्षा के लिए अधिक। द. छोटे और सीमांत किसान खाद्य सुरक्षा की बेहतरी में योगदान नहीं करते हैं क्योंकि उनके उत्पादन का पैमाना है

न्यूनतम;

( (ख)

अदालत नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप कर सकती है यदि नीति है मनमाना; और

( iii)

अपने आप में एक वर्ग का गठन करते हैं, विशेष रूप से क्योंकि बड़ी भूमि रखने वाले किसान बेहतर योगदानकर्ता हैं और उनके पास है अधिक नुकसान उठाना पड़ा।

8. तीन मुद्दे विचार के लिए आते हैं। वे इस प्रकार हैं:

क्या न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है

( (i)

चूँकि यह योजना सरकार का एक नीतिगत निर्णय है;

( (ख)

क्या योजना का विस्तार केवल 'छोटे किसानों' के लिए है

और 'सीमांत किसान' मनमाना और अनुच्छेद का उल्लंघन है

14 भारतीय संविधान का; और

क्या यह योजना कम समावेशी और अधिक समावेशी है।

( iii) 9. तमिलनाडु राज्य ने प्रारंभिक विवाद उठाया है

न्यायालय योजना की समीक्षा नहीं कर सकता क्योंकि यह एक राजकोषीय नीति निर्णय है। इससे पहले कि हम अनुच्छेद 14 पर तर्कों के साथ आगे बढ़ें, यह आवश्यक है कि हम नीति की न्यायिक समीक्षा के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर चर्चा करें। इसकी जाँच 'साइ' वाक्यांश के अर्थ के प्राथमिक प्रश्न से शुरू होनी चाहिए। नीति वह तर्क और उद्देश्य है जो प्राधिकरण के निर्णय का मार्गदर्शन करता है, जो हमारे मामले में तमिलनाडु राज्य है।

अधिसूचनाएँ, अध्यादेश या सरकारी आदेश राज्य की नीति के कार्यान्वयन के साधन हैं। इसलिए, कानून के पीछे की नीति के संदर्भ के बिना कानून की पूरी तरह से सराहना करना संभव नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ कानून की वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायिक रूप से विकसित दो-आयामी परीक्षण, कानून के उद्देश्य को संदर्भित करता है क्योंकि कानून के पीछे की 'नीति' कभी भी न्यायिक ध्यान से पूरी तरह से अछूती नहीं होती है।

10. हालाँकि, यह तय कानून है कि न्यायालय किसी नीति की दृढ़ता और विवेक में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। एक नीति न्यायिक के अधीन है।

मौलिक अधिकारों और संविधान के अन्य प्रावधानों के अनुपालन के सीमित आधारों पर समीक्षा। यह भी तय किया गया है कि न्यायालय संबंधित मामलों को उच्च स्तर का सम्मान देंगे।

आर्थिक नीति, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अन्य मामलों की तुलना में। आर. के. गर्ग बनाम। भारत संघ, इस न्यायालय ने विशेष वाहक बांड (प्रतिरक्षा और छूट) अधिनियम 1981 की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लिया। क़ानून को चुनौती मुख्य आधार पर थी कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। चुनौती को खारिज करते हुए, संविधान पीठ ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानूनों को अधिक अक्षांश और सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए जब

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकारों से संबंधित कानूनों की तुलना में:

" 8. समान महत्व का एक अन्य नियम यह है कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानूनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म आदि जैसे नागरिक अधिकारों को छूने वाले कानूनों की तुलना में अधिक अक्षांश के साथ देखा जाना चाहिए। यह होम्स, जे. से कम किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कहा गया है कि विधायिका को जोड़ों में कुछ खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि इसे उन जटिल समस्याओं से निपटना पड़ता है जो किसी भी सिद्धांत या जलडमरूमध्य सूत्र के माध्यम से समाधान को स्वीकार नहीं करते हैं और यह है विशेष रूप से आर्थिक मामलों से निपटने वाले कानून के मामले में सच है, जहां, आवश्यक समस्याओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जोड़ों में अधिक खेल को विधायिका को अनुमति दी जानी चाहिए। अदालत को न्याय देने के लिए अधिक झुकाव महसूस करना चाहिए

अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक विनियमन के क्षेत्र में विधायी निर्णय का सम्मान जहां मौलिक मानवाधिकार शामिल हैं।

3 3 आसिफ हमीद बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य, 1989 पूरक (2) एस. सी. सी. 364; सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम। भारत संघ, (1990) 3 एस. सी. सी. 223; खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम। कर्नाटक राज्य, (1996) 10 एस. सी. सी. 304; बाल्को कर्मचारी संघ बनाम। भारत संघ, (2002) 2 एस. सी. सी. 333; उड़ीसा राज्य बनाम। गोपीनाथ दास, (2005) 13 एस. सी. सी. 495 4 (1981) 4 एस. सी. सी. 675 एटीई ऑफ तमिल नाडु एंड ए. एन. आर.

वी. राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी कृषि-सांस्कृतिक संगठन को समाप्त कर रही है [डॉ. धनन्जय वाई

चंद्रचूड़, जे।]

अब यहाँ इस चेतावनी को अधिक सम्मानपूर्वक व्यक्त किया गया है।

मोरे वी की तुलना में डाउड [351 यू. एस. 457: 1 एल एड 2 डी 1485 (1957)] जहाँ फ्रैंकफर्टर, जे. ने अपनी अनूठी शैली में कहाः उपयोगिताओं, कर और आर्थिक विनियमन मामलों में, विधायी निर्णय के प्रति न्यायिक सम्मान नहीं तो न्यायिक आत्म-संयम के अच्छे कारण हैं। आखिरकार विधायिका की सकारात्मक जिम्मेदारी है। द.

अदालतों के पास केवल नष्ट करने की शक्ति है, पुनर्निर्माण की नहीं। जब इन्हें आर्थिक विनियमन की जटिलता में जोड़ा जाता है, तो अनिश्चितता, त्रुटि के लिए दायित्व, विशेषज्ञों के भ्रमित करने वाले संघर्ष और न्यायाधीशों को घटनाओं-आत्म-सीमा द्वारा खारिज किए जाने की संख्या को न्यायिक ज्ञान और संस्थागत प्रतिष्ठा और स्थिरता का मार्ग माना जा सकता है।

11. प्रत्यर्थी ने बी. ए. एल. सी. ओ. कर्मचारियों पर निर्भरता रखी है। भारत संघ 3. एक संविधान पीठ ने एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के 51 प्रतिशत शेयरों के विनिवेश और हस्तांतरण के भारत संघ के एक चुनौती निर्णय पर विचार किया। चुनौती को खारिज करते हुए, यह कहा गया कि आर्थिक नीतियों का विवेक इसके अधीन नहीं है

समीक्षाः

" 92. लोकतंत्र में यह प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति का विशेषाधिकार है।

सरकार को अपनी नीति का पालन करना चाहिए। अक्सर सरकार में बदलाव के परिणामस्वरूप ध्यान में बदलाव या आर्थिक नीतियों में बदलाव हो सकता है। कोई भी निहित स्वार्थ। जब तक नीति के निष्पादन में कोई अवैधता नहीं की जाती है या वह कानून के विपरीत या दुर्भावनापूर्ण नहीं है, तब तक परिवर्तन लाने वाले निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अदालत के साथ।

93. आर्थिक नीतियों की बुद्धिमत्ता और सलाह आमतौर पर दी जाती है। न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए उत्तरदायी नहीं है जब तक कि यह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है कि नीति किसी वैधानिक प्रावधान या संविधान के विपरीत है। दूसरे शब्दों में, यह अदालतों के लिए नहीं है कि वे विभिन्न आर्थिक नीतियों के सापेक्ष गुणों पर विचार करें और विचार करें कि क्या एक बुद्धिमान या बेहतर विकसित किया जा सकता है। किसी नीति की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त मंच संसद है न कि अदालतें। यहां नीति का परीक्षण किया गया और 1-3 पर लोकसभा में प्रस्ताव को पराजित कर दिया गया।

2001. "

12. आर्थिक नीतियों में मोटे तौर पर कराधान, अधिकार और आवंटन पर नीतियाँ शामिल हैं। राज्य और उसकी एजेंसियां अक्सर प्रयास करती हैं

आर्थिक रूप से व्यवहार्य निर्णय लेना। राज्य की प्रत्येक नीति के कार्यान्वयन में व्यय शामिल होता है। केवल इसलिए कि नीति में धन का व्यय शामिल है, इसे आर्थिक नीति नहीं कहा जा सकता है। नीति की प्रकृति की पहचान करने के लिए नीति की मुख्य विशेषता और लक्षित क्षेत्र को निर्धारित करने की आवश्यकता है। विवादित ऋण माफी योजना, संक्षेप में, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अनुसरण में एक सामाजिक नीति है, जिसे स्थिति, आय और सुविधाओं में असमानता को खत्म करने के उद्देश्य से पेश किया गया है।

13. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम। टी. एन. ओ. राज्य, उपहार की योजना

तमिलनाडु राज्य में चुनौती थी। तर्कों में से एक यह था कि रंगीन टेलीविजन सेट, लैपटॉप और मिक्सर-ग्राइंडर का वितरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है क्योंकि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है

चूंकि आय के स्तर की परवाह किए बिना उपहार वितरित किए गए थे। इस तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उपहारों का वितरण राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन से संबंधित है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 14 सिद्धांत केवल तभी लागू होगा जब राज्य की कार्रवाई नागरिकों पर बोझ डालती हैः

" 78. इस तर्क के संबंध में कि राज्य की उदारता का वितरण

रंगीन टीवी, लैपटॉप, मिक्सर-ग्राइंडर आदि के रूप में उल्लंघन होता है।

इस सवाल का जवाब देने का साहस करने से पहले हमें याद रखना चाहिए कि ये उपाय कार्यान्वयन से संबंधित हैं

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। इसलिए, सिद्धांत

असमानों के साथ समान व्यवहार न करने की कोई प्रयोज्यता नहीं है जैसा कि राज्य की उदारता का संबंध है। यह सिद्धांत केवल लागू होता है

जहाँ कानून या राज्य की कार्रवाई कुछ बोझ लगाती है

नागरिक या तो वित्तीय या अन्यथा। इसके अलावा, जबकि

निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना, यह सरकार के लिए है

अपने वित्तीय संसाधनों और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लोगों से। एक स्ट्रेटजैकेट सूत्र नहीं हो सकता है। अगर

कुछ लाभ एक विशेष वर्ग तक सीमित हैं जो कर सकते हैं

यह स्पष्ट रूप से राज्य के सीमित संसाधनों के कारण है।

नागरिकों को। राज्य धीरे-धीरे लाभ बढ़ा सकता है और यह इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में इस सिद्धांत को मान्यता दी गई है।

( जोर दिया गया)

6 ( 2016 ) 9 एस. सी. सी. 659 स्टेट ऑफ तमिल नाडु एंड ए. एन. आर. वी. राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी

इंटरलिंकिंग एग्रीकल्चरिस्ट एसोसिएशन [डॉ। धनन्जय वाई

चंद्रचूड़, जे।]

ऋण माफी योजना भी निर्देश के अनुसरण में है

राज्य नीति के सिद्धांत। सुब्रमण्यम बालाजी (ऊपर) में टिप्पणियों को देखते हुए, इस योजना को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह बोझ नहीं डालता बल्कि लाभ देता है। हालाँकि, हम यह निर्धारित करना अनिवार्य समझते हैं कि क्या यह योजना मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।

14. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता संहिता

मौलिक समानता निर्धारित करता है न कि औपचारिक समानता। अब यह एक तय स्थिति है कि प्रति वर्गीकरण भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 14 केवल वर्ग विधान को मना करता है और उचित वर्गीकरण नहीं करता है। एक वर्गीकरण उचित है, जब न्यायमूर्ति एस. आर. दास द्वारा राज्य डब्ल्यू. बी. बनाम में निर्धारित दोहरे परीक्षण। 'अनवर अली सरकार' पूरी हुईः

( i) वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए जो व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है जो समूह में हैं।

अन्य लोगों को समूह से बाहर कर दिया गया; और

( (ii) भेद का वस्तु के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

कानून द्वारा प्राप्त करने की मांग की गई।

समूह से बहिष्कृत। में वर्गीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला अंतर यह योजना प्रत्येक व्यक्ति द्वारा भूमि स्वामित्व की कुल सीमा है। इसलिए, वर्ग के गठन के लिए एक मापदंड का उपयोग किया जाता है

योजना।

16. अपीलार्थी ने तर्क दिया कि योजना के उद्देश्य हैं -

इस प्रकारः

( (i)

लघु और मध्यम किसान खाद्य पदार्थों के मुख्य उत्पादक हैं। प्रौद्योगिकी, ऋण तक उनकी सीमित पहुंच के बावजूद, और

राजधानी;

फसल ऋण में छोटे और सीमांत किसानों की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत है।

( (ख)

लाभार्थी। राज्य का उद्देश्य न्यूनतम निधि के साथ अधिकतम लाभार्थियों को शामिल करना है। इस योजना को बजटीय आवंटन, राजस्व जुटाने और किसानों की भूमि की तुलना में उनकी स्थिति जैसे महत्वपूर्ण मानकों पर विचार करने के बाद तैयार किया गया है; और

छोटे और सीमांत किसान गरीब हैं और

( iii)

दलित वर्ग के किसान। इसलिए उनके पास बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण अधिक नुकसान हुआ।

17. इसलिए, जिन कारणों से तमिलनाडु राज्य को इस योजना के निर्माण के लिए निर्देशित किया गया है, वे दो गुना हैं: ( (i) द

छोटे और सीमांत किसानों को सीमित प्रौद्योगिकी और पूंजी के कारण अनियमित जलवायु परिस्थितियों के कारण अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा है; और (ii) राज्य इसके साथ अधिकतम लाभ प्रदान करना चाहता है।

न्यूनतम निधि।

18. उच्च न्यायालय के समक्ष जवाबी हलफनामे में, राज्य ने रुपये माफ करके यह दावा किया। 5780 करोड़ मूल्य के फसल ऋण, छोटे ऋणों की संख्या

और जिन सीमांत किसानों को लाभ होगा, वे 16,94,145 होंगे। दूसरी ओर, अन्य किसानों के 1980 करोड़ रुपये के फसल ऋण को माफ करने से केवल उनमें से 3,01,926 को ही लाभ होगा। ये आंकड़े राज्य के इस तर्क को पुष्ट करते हैं कि केवल सीमांत और छोटे किसानों को योजना का लाभ प्रदान करने से न्यूनतम निवेश के लिए अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। हालाँकि, यह राज्य द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य नहीं हो सकता है। प्रत्येक योजना जिसमें मौद्रिक या सामग्री शामिल हो

संवितरण का उद्देश्य न्यूनतम के साथ अधिकतम लाभ प्रदान करना है

व्यय। इस प्रकार वर्गीकरण का परीक्षण वित्तीय उद्देश्य पर नहीं किया जा सकता है जो प्रत्येक योजना का मार्गदर्शन करता है। 19. किसानों के लिए कृषि ऋण माफी प्रदान करने का उद्देश्य परेशान किसानों का उत्थान करना है, जो अनियमित मौसम की स्थिति, कम उपज और बाजार की स्थिति के कारण कीमतों में गिरावट का सामना कर रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए एक वर्ग के रूप में किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य को अनुच्छेद 38 द्वारा अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या भूमि स्वामित्व की सीमा के आधार पर वर्गीकरण का उस उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है।

20. नवतेज सिंह जौहर बनाम में हम में से एक (डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़)। भारत संघ 3 ने दो-आयामी परीक्षण की अपर्याप्तताओं पर जोर दिया जो पदार्थ पर रूप को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। भारतीय संविधान के तहत समानता खंडों के सही अर्थ को आगे बढ़ाने के लिए कानून के 'प्रभाव' के बजाय, विशेष रूप से जब उद्देश्य स्पष्ट हो, कानून के 'उद्देश्य' पर अधिक जोर नहीं दिया गया। पारंपरिक दो

8 ( 2018 ) 10 एस. सी. सी. 1 तमिलनाडु और ए. एन. आर. का राज्य। वी. राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी

इंटरलिंकिंग एग्रीकल्चरिस्ट एसोसिएशन [डॉ। धनन्जय वाई

चंद्रचूड़, जे।]

अदालतों को अनुच्छेद 14 के उल्लंघनों की एक ठोस समीक्षा करने के लिए दोहरे परीक्षण की ओर झुकने वाली औपचारिक प्रवृत्ति से दूर, व्यापक वर्गीकरण परीक्षण का विस्तार करने की आवश्यकता है। दो-आयामी परीक्षण के व्यापक मापदंडों के भीतर, हम समानता और गैर-भेदभाव के बहु-अक्षीय संचालन पर ध्यान केंद्रित करके बहुत अधिक ठोस समीक्षा करना अनिवार्य पाते हैं।

21. उच्च न्यायालय के समक्ष दायर काउंटर में तमिलनाडु राज्य

अदालत ने कहा कि वर्गीकरण की आवश्यकता थी क्योंकि छोटे और सीमांत किसानों को उनके कारण अधिक नुकसान उठाना पड़ता है।

सीमित क्षमता और सहायता। यह न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त है कि विधायिका नुकसान की डिग्री को पहचानने के लिए स्वतंत्र है और अपने प्रतिबंधों या लाभों को उन मामलों तक सीमित कर सकती है जहां आवश्यकता सबसे स्पष्ट है। महाराष्ट्र राज्य में v. इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन 1 0 10, अनुभाग

9

33 - बॉम्बे पुलिस अधिनियम का ए (1) जो भोजनालयों, परमिट रूम या बीयर बार में नृत्य प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है, और धारा 33-बी जो प्रतिबंधित प्रवेश वाले प्रतिष्ठानों में इस तरह के नृत्य की अनुमति देती है या तीन

तारांकित या उससे ऊपर के होटल चुनौतीपूर्ण थे। राज्य ने तर्क दिया कि धारा 33 ए (1) द्वारा कवर किए गए वर्ग में नुकसान की मात्रा अधिक है। दो-न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया कि राज्य के पास निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए या नुकसान की डिग्री के आधार पर वर्गीकरण पर अपने निर्णयों को आधार बनाने के लिए अधिकांश आबादी द्वारा एक सामान्य सहमति साझा की जानी चाहिए। हम स्वीकार नहीं कर सकते अधिकांश आबादी की सामान्य सहमति के आधार पर नुकसान की डिग्री को पहचाना जा सकता है। जैसा कि नवतेज सिंह जौहर (ऊपर) में कहा गया है, कानून या सरकार की योजना का परीक्षण बहुसंख्यकवादी नैतिकता के आधार पर नहीं किया जा सकता है, बल्कि केवल संवैधानिक नैतिकता पर किया जा सकता है। हालांकि, राज्य द्वारा किए गए दावों को ठोस सामग्री प्रस्तुत करने के माध्यम से तर्क की परीक्षा के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कम बोझ अधिकारों के संरक्षण को काफी हद तक कमजोर कर देगा। 1 1

22. यह प्रस्तुत किया गया है कि उपभोग व्यय

सीमांत और छोटे किसान अपनी अनुमानित आय से पर्याप्त अंतर से अधिक हैं, और घाटे को ऋण द्वारा कवर किया जाता है। द. तथ्य यह है कि 16,94,145 छोटे और सीमांत किसानों ने कृषि का लाभ उठाया है

9 राम कृष्ण डालमिया बनाम। एस. आर. तेंदुलकर, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 538; मोहम्मद. हनीफ कुरेशी बनाम। बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 731; बिनॉय विश्वम बनाम। भारत संघ, (2017) 7 एस. सी. सी. 59. 10 (2013) 8 एससीसी 519 11 अपर्णा चंद्र 'भारत में आनुपातिकता': ए ब्रिज टू नोव्हेयर '(2020) ऑक्सफोर्ड ह्यूमन राइट्स जर्नल [2021] 7 एस. सी. आर.

बाकी किसानों की तुलना में घाटा। भारी पूंजी घाटे के साथ-साथ पानी की कमी और बाढ़ के कारण फसल के डूबने से कृषि आय में कमी से वित्तीय संकट पैदा हो गया है। छोटे और सीमांत किसानों के पास संसाधनों की कमी है, उनके पास सूखे से उबरने के लिए बोरवेल नहीं हैं। ये किसान आमतौर पर भूमि, पानी, निवेश, ऋण, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक पहुँच के लिए बड़े खेतों पर निर्भर होते हैं। यह पाया गया कि बड़े किसानों की लगभग 40 प्रतिशत सिंचित भूमि नहरों से थी, जबकि छोटे और सीमांत किसानों की 25 प्रतिशत से भी कम भूमि नहरों या बोरवेल से सिंचित होती थी और वे अक्सर किराए पर लेने का सहारा लेते थे बड़ी भूमि से पानी। उदाहरण के लिए, एक छोटे और सीमांत खेत में उपज का उत्पादन, छोटे किसान के परिवार का पेट भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। इस प्रकार, उनमें से अधिकांश सार्वजनिक वितरण प्रणाली से रियायती दर पर अनाज खरीदते हैं (क्योंकि ये किसान गरीबी रेखा से नीचे आते हैं) ताकि वे अपनी उपज बेच सकें। 12 1 2

किसानों द्वारा (हेक्टेयर में): 12 पारिजात घोष, किसानों का विरोधः छोटे और सीमांत किसान कृषि कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हैं? , ( 11 दिसंबर, 2020): //एन। गाँव कनेक्शन। कॉम/किसान-विरोध क्यों-हैं-छोटे-और-सीमांत-किसान-विरोध कर रहे हैं-के खिलाफ-खेत-अधिनियम/13https: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. मोस्पी। गव. इन/दस्तावेज़/213904/301563 /

रिपोर्ट करें _ 587m1631267040957। पी. डी. एफ./3793650 ई-8 सी. एफ. 1-7872-ए. ई. 90-51470 सी. 8 डी211 सी तमिलनाडु और ए. एन. आर. का राज्य।

आय का वितरण

10.00+

4.01- 10.00

2.01- 4.00

1.01- 2.00

उन दिनों में

0.40- 1.00

0.01- 0.40

< 0.01

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

मजदूरी से आय

खेती-बाड़ी से आय

अन्य

24. रिपोर्ट में किसानों की प्रत्येक श्रेणी द्वारा रखे गए बकाया ऋणों की कुल राशि को भी सूचीबद्ध किया गया है। गणना से पता चलता है कि

जिन परिवारों के पास 0.01 हेक्टेयर से कम भूमि है, वे गैर-कृषि उद्देश्य के लिए कृषि ऋण के 93.1% का उपयोग करते हैं। इसके विपरीत, एक परिवार जिसके पास 10 हेक्टेयर भूमि है, केवल 17.1 प्रतिशत भूमि का उपयोग करता है।

गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि ऋण। यह उस गरीबी को दर्शाता है जो छोटे और सीमांत किसानों के वर्ग को घेरती है। ऋणी कृषि परिवारों के प्रतिशत वितरण से पता चलता है कि 27 प्रतिशत परिवारों की हिस्सेदारी 0.01 के बीच है। 040 हेक्टेयर भूमि; 34 प्रतिशत जो 0.40-1 हेक्टेयर के बीच रखते हैं और 20 प्रतिशत जो 1-2 एकड़ के बीच रखते हैं, ऋणी हैं। दूसरी ओर, केवल 4.5% जिनके पास 4-10 हेक्टेयर है और 0.6% जिनके पास 10 से अधिक हेक्टेयर है, वे ऋणी हैं। ऋणी कृषि परिवारों के प्रतिशत वितरण का ग्राफ नीचे दिया गया है:

ऋणी कृषि परिवारों का प्रतिशत वितरण

1 < 0.01 0.40 - 1.00 1.01- 2.00 2.01- 4.00 14.01 - 10.00 10.00 +

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित का अनुप्रयोग

केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए योजना दो कारणों से उचित हैः ( i) सूखा और बाढ़ जैसे जलवायु संकट के कारण बड़ी जोतों की तुलना में छोटी जोतों को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। पूँजी और प्रौद्योगिकी का अभाव; और (ii) छोटे और सीमांत किसान समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं। इसलिए,

स्वयं। इसलिए, भूमि स्वामित्व की सीमा के आधार पर वर्गीकरण मनमाना नहीं है क्योंकि छोटे और सीमांत किसानों की अंतर्निहित वंचित स्थिति के कारण, जलवायु परिवर्तन या अन्य बाहरी ताकतों का प्रभाव असमान है। 26. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कहा है कि यह योजना समावेशी और अति समावेशी दोनों है क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा धारण की गई भूमि की कुल सीमा की गणना भूमि स्वामित्व रजिस्टर में दी गई जानकारी के आधार पर की जाती है जो विसंगतियों की अनुमति देती है। इसने यह भी माना कि योजना 'अन्य किसानों' या बड़े किसानों 'को लाभ नहीं देने के लिए समावेशी है। न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू ने गुजरात राज्य बनाम संविधान पीठ के लिए लिखते हुए एक विद्वतापूर्ण व्याख्या में कम समावेशिता और अति-समावेशिता के अर्थ और दायरे पर चर्चा की है। अम्बिका मिल्स 1 4 14:

" 55. एक वर्गीकरण निम्न-समावेशी होता है जब वर्ग में शामिल सभी लोग शरारत से दागी होते हैं लेकिन कुछ अन्य भी दागी होते हैं जिन्हें वर्गीकरण में शामिल नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में, एक वर्गीकरण कम समावेशी के रूप में बुरा होता है जब कोई राज्य व्यक्तियों को इस तरह से लाभान्वित करता है या बोझ डालता है जो एक वैध उद्देश्य को आगे बढ़ाता है लेकिन समान लाभ प्रदान नहीं करता है या समान बोझ दूसरों पर नहीं डालता है जो समान रूप से स्थित हैं। एक वर्गीकरण अति-समावेशी होता है जब इसमें न केवल वे लोग शामिल होते हैं जो उद्देश्य के संबंध में समान रूप से स्थित होते हैं, बल्कि अन्य लोग भी शामिल होते हैं जो इस तरह से स्थित नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार के वर्गीकरण पर बोझ पड़ता है।

14 ( 1974 ) 4 एस. सी. सी. 656 स्टेट ऑफ तमिल नाडु एंड ए. एन. आर. वी. राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी

इंटरलिंकिंग एग्रीकल्चरिस्ट एसोसिएशन [डॉ। धनन्जय वाई

चंद्रचूड़, जे।]

शरारत के साथ भाग लेने वालों के वर्ग में शामिल व्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला जिस पर कानून का उद्देश्य है। हेरोद ने एक विशेष दिन पर पैदा होने वाले सभी पुरुष बच्चों की मृत्यु का आदेश दिया क्योंकि उनमें से एक दिन उनका पतन होगा

एक वर्गीकरण।

56. चूँकि वर्गीकरण में वे सभी शामिल नहीं हैं जो समान हैं।

कानून के उद्देश्य के संबंध में स्थित, वर्गीकरण, पहली नज़र में, अनुचित प्रतीत हो सकता है। लेकिन अदालत ने

उन वास्तविक कठिनाइयों को पहचाना जिनके तहत विधायिकाएँ आती हैं

दोनों की प्रकृति से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को संचालित करें

के एंड टी आर. एल. वी. मई, 194 यू. एस. 267,269] तो फिर, गैर-विस्तार के उचित कारण क्या हैं? एक अदालत को क्या करना चाहिए जब उसे आर्थिक और कर मामलों से संबंधित क्षेत्रों में एक समावेशी वर्गीकरण बनाने वाले कानून का सामना करना पड़ता है? क्या उसे अपने निर्णय से मजबूर करना चाहिए विधायिका निष्क्रियता
या पूर्णता के बीच चयन करेगी?

27. अम्बिका मिल्स (ऊपर) नुकसान की डिग्री, प्रशासनिक सुविधा की मान्यता के आधार पर समावेशिता के तहत उचित ठहराया गया,

और विधायी प्रयोग। मिसौरी, के एंड टी आर. एल. वी. में न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होम्स के अवलोकन का संदर्भ दिया गया था। 1 मई 5, यह कहने के लिए कि "न्यायालय द्वारा कानून को तब तक बाधित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह स्पष्ट रूप से यह नहीं देख सके कि कानून के लिए कोई उचित कारण नहीं है जिसके लिए उन लोगों के लिए समान बल के साथ इसके विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी जिन्हें वह अछूता छोड़ता है", यह कहने के लिए कि न्यायपालिका को ऐसे मामलों में आत्मसंयम का प्रयोग करना चाहिए। एन. पी. बशीर बनाम। केरल राज्य ", इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यदि अति-समावेशिता और अल्प-समावेशिता की सीमा मामूली है, तो इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

15 194 यूएस 267,269 16 2004 (2) एससीआर 224 [2021] 7 एस. सी. आर.

28. वर्गीकरण समावेशी है या नहीं, इसका निर्धारण उस परीक्षण से निकटता से संबंधित है जो न्यायालय द्वारा अंत तक साधनों के संबंध का निर्धारण करते समय किया जाता है। यह न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए दो-आयामी परीक्षण का पालन करता है कि क्या अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ है। परीक्षण के लिए अदालत को यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध है। ई. पी. रोयप्पा बनाम में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में)। तमिलनाडु राज्य ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य की कार्रवाई की मनमानी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार, यह माना गया कि संविधान में परिकल्पित समानता सिद्धांत न केवल तुलनात्मक अनुचितता के खिलाफ गारंटी देता है, बल्कि गैर-तुलनात्मक भी है।

प्रवेश, शुल्क और निजी शैक्षणिक संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून और नियमों की वैधता का परीक्षण करते हुए। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। संघ का भारत 20, न्यायालय ने आनुपातिकता परीक्षण का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया कि क्या आई. पी. सी. की धारा 499 और 500 के तहत निर्धारित आपराधिक मानहानि का अपराध धारा 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। न्यायमूर्ति पुट्टास्वामी (9 जे) बनाम। भारत संघ 2 1, नौ न्यायाधीशों की पीठ

इस न्यायालय ने माना कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आनुपातिकता मानक का उपयोग गोपनीयता के अधिकार पर लगाई जा सकने वाली सीमाओं को निर्धारित करने के संदर्भ में किया गया था। संविधान पीठ ने तब न्यायमूर्ति पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम में आनुपातिकता परीक्षण पर विचार किया। भारत संघ 22, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आधार योजना ने किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन किया है। हमारे न्यायालयों ने गैर-वर्गीय मनमानेपन को निर्धारित करने के लिए आनुपातिकता मानक का उपयोग किया है, और यह निर्धारित करने के लिए दोहरे परीक्षण का उपयोग किया है कि क्या वर्गीकरण मनमाना है।

17 1 7 (1974) 4 एससीसी 3

18 तरुणभ खेतान, 'समानता' को देखें। सुजीत चौधरी, माधव खोसला, प्रताप भानु मेहता (संस्करण), द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2016) में अनुच्छेद 14 के तहत विधायी समीक्षा।

19 ( 2016 ) 7 एस. सी. सी. 353

20 ( 2016 ) 7 एससीसी 221

21 ( 2017 ) 10 एससीसी 1

22 ( 2019 ) 1 एस. सी. सी. 1 तमिलनाडु और ए. एन. आर. का राज्य। वी. राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी इंटरलिंकिंग एग्रीकल्चरिस्ट एसोसिएशन [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

29. अनुज गर्ग बनाम। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 23, अदालत ने पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम 1914 की धारा 30 की संवैधानिक वैधता का फैसला किया, जिसमें "पच्चीस वर्ष से कम उम्र के किसी भी पुरुष" या "किसी भी महिला" को उस परिसर में काम पर रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जहां शराब या मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है। इस वर्गीकरण प्रावधान को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी), 14 और 15 के उल्लंघन के लिए चुनौती दी गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कानून वास्तव में महिलाओं के उत्पीड़न को कायम रखता है। प्रावधान की वैधता निर्धारित करने में, न्यायालय ने लागू किया आनुपातिकता मानकः

" 50. इस तरह के सुरक्षात्मक भेदभाव क़ानून की समीक्षा करने के लिए परीक्षण में दो-आयामी जांच की आवश्यकता होगीः

( क) विधायी हस्तक्षेप (तत्काल मामले में लिंग भेदभावपूर्ण वैधीकरण द्वारा प्रेरित) को सिद्धांत रूप में उचित ठहराया जाना चाहिए,

( ख) यह माप में आनुपातिक होना चाहिए।

30. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (1) में विशेष रूप से कहा गया है कि राज्य धर्म, नस्ल, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से कोई भी '। चूँकि अनुज गर्ग (ऊपर) में सुरक्षात्मक भेदभाव अनुच्छेद 15 के आधारों में से एक पर आधारित था, इसलिए न्यायालय ने उच्च स्तर की जांच पर इसकी संवैधानिकता का परीक्षण करना उचित समझा। इसी तरह के तर्क को न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने नवतेज सिंह जौहर (उपरोक्त) मामले में उठाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आई. पी. सी. की धारा 377 तर्कसंगत सांठगांठ परीक्षण को पूरा नहीं करती है क्योंकि "कानून किसी व्यक्ति के आंतरिक और मूल विशेषता के आधार पर भेदभाव करता है, यह एक समझदार अंतर के आधार पर एक उचित वर्गीकरण नहीं बना सकता है"।

31. जबकि गैर-वर्गीकरण मनमानेपन का परीक्षण आनुपातिकता परीक्षण के आधार पर किया जाता है, जहां साधनों को वस्तु के समानुपाती होने की आवश्यकता होती है, वर्गीकरण मनमानेपन का परीक्षण तर्कसंगत संबंध परीक्षण पर किया जाता है, जहां यह पर्याप्त है यदि साधन वस्तु के साथ एक 'संबंध' साझा करते हैं। परीक्षण के तहत सबूत की मात्रा इस न्यायालय के फैसले को प्रभावित करेगी कि क्या कानून समावेशी है या अति समावेशी है। एक क़ानून 'कम समावेशी' है यदि यह उन सभी कारकों को विनियमित करने में विफल रहता है जो समस्या का हिस्सा हैं। यह 'अति-समावेशी' है यदि यह उन अभिनेताओं को विनियमित करता है जो उस समस्या का हिस्सा नहीं हैं जिसे क़ानून संबोधित करना चाहता है। के तहत का निर्धारण 23 ( 2008 ) 3 एससीसी 1 [2021] 7 एस. सी. आर.

समावेशिता और अति-समावेशिता, और इसके प्रति सम्मान की डिग्री संबंध पर निर्भर करती है ('तर्कसंगत संबंध' या 'आनुपातिक')

परीक्षण से। 32. नेक्सस परीक्षण, आनुपातिकता परीक्षण के विपरीत, साधनों को कम करने या प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन खोजने के लिए तैयार नहीं किया गया है।

वस्तु। यह तब पर्याप्त है जब साधनों का वस्तु के साथ 'तर्कसंगत संबंध' हो। इसलिए, अदालतें उन मामलों के प्रति अधिक सम्मान दिखाती हैं जहां तर्कसंगत संबंध परीक्षण लागू किया जाता है। वर्गीकरण के लिए अधिक सम्मान दिखाया गया है क्योंकि विधायिका मूल समानता के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए नुकसान की डिग्री के आधार पर वर्गीकृत कर सकती है, और इस तरह के वर्गीकरण के लिए गणितीय सटीकता की आवश्यकता नहीं है। भारतीय न्यायालय वर्गीकरण संबंधी प्रावधानों के लिए आनुपातिकता मानक लागू नहीं करते हैं। हालांकि अनुज गर्ग (ऊपर) में दो न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 15 के आधार पर सुरक्षात्मक भेदभाव के लिए आनुपातिकता मानक को स्पष्ट किया; और न्यायमूर्ति मल्होत्रा ने नवतेज सिंह जौहर (ऊपर) में कहा कि जब वर्गीकरण किसी व्यक्ति की 'जन्मजात और मूल विशेषता' पर आधारित हो तो कम सम्मान की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन इसमें गहराई से विचार करने का मामला नहीं है। चूंकि विवादित योजना में वर्गीकरण न तो अनुच्छेद 15 के आधार पर आधारित है और न ही किसी व्यक्ति की 'जन्मजात और मूल विशेषता' पर आधारित है, इसलिए इसे कम समावेशिता और अति-समावेशिता के कथित आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

33. जारी की गई योजना को एक अनुसरण में पेश किया गया था

तमिलनाडु राज्य ने संवैधानिक चुनौती के खिलाफ एकजुट होकर मतदान किया। उच्च न्यायालय ने अन्यथा ठहराने में गलती की है। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान राज्य ने स्थिति के अपने मूल्यांकन के आधार पर एक व्यापक कवरेज प्रदान किया है। 24 सुब्रमण्यम बालाजी (संख्या 6)

टी. ई. ऑफ तमिल नाडु और ए. एन. आर. वी. राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय कृषि-सांस्कृतिक संगठन [डॉ. धनन चंद्रचूड़, जे।]

34. ऊपर बताए गए कारणों के लिए, अपील मदुरै बेंच में मद्रास उच्च न्यायालय की याचिका है।

2017 अलग रखा जाता है।

35. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है।

जैन

एप्पी